2011:CGHC:7979

**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>**

**<u>रिट याचिका (227) क्रमांक 292/2009</u>**

**<u>याचिकाकर्ता</u>:** बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

**बनाम**

**<u>उत्तरवादीगण</u>**: दासरू पटेल एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>रिट याचिका (227) क्रमांक 410/2009</u>**

**<u>याचिकाकर्ता</u> :** बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

**बनाम**

**<u>उत्तरवादीगण</u>**: जनक कोरी एवं अन्य

**एकल पीठ : <u>माननीय श्री न्यायमूर्ति एन. के. अग्रवाल</u>**

**उपस्थित :**

श्री सचिन सिंह राजपूत, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से

श्री ए. वी. श्रीधर, अधिवक्ता — उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से

श्री संतोष तिवारी, अधिवक्ता — उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से

श्री अखिल अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता — राज्य की ओर से

मौखिक आदेश

(दिनांक 28-04-2011)

1. यह आदेश उपर्युक्त दोनों रिट याचिकाओं के निराकरण पर लागू होगा।

2. बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता है, स्थायी लोक अदालत के उस अधिकार-क्षेत्र को चुनौती दे रही है, जिसके अंतर्गत वह मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "1988 का अधिनियम") के अंतर्गत दावा याचिकाओं को ग्रहण एवं निर्णय कर सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रकरण में सम्मिलित विधिक प्रश्नों की समुचित विवेचन हेतु, रिट याचिका (227) क्रमांक 292/2009 के तथ्य निम्नानुसार वर्णित किए जाते हैं—

उत्तरवादी क्रमांक 1 ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (संक्षेप में "1987 का अधिनियम") की धारा 22-क के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत, बिलासपुर के समक्ष एक दावा याचिका प्रस्तुत कि दिनांक **01-03-2008** को घटित मोटर दुर्घटना में उसे हुई चोटों के लिए **₹5,50,000/-** (पाँच लाख पचास हज़ार रुपये) क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए ट्रक चालक, स्वामी एवं याचिकाकर्ता अर्थात ट्रक क्रमांक **CG-07 C/7247** के बीमाकर्ता के विरुद्ध दावा प्रस्तुत किया। नोटिस प्राप्त होने के

पश्चात, याचिकाकर्ता/बीमा कंपनी द्वारा स्थायी लोक अदालत के अधिकार-क्षेत्र को चुनौती देते हुए एक प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की गई कि वह 1988 के अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार के दावे को ग्रहण एवं निर्णीत करने के लिए सक्षम नहीं है। आक्षेपित आदेश द्वारा स्थायी लोक अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई उक्त आपत्ति को ख़ारिज कर दिया। अतः यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजपूत ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 4 को दुर्घटना में हुई चोटों के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्णय करने एवं अधिनिर्णय पारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। दुर्घटना एक अपकृत्य है तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए मामला विशेष रूप से गठित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि जब पक्षकारों के मध्य समझौता या सुलह नहीं होती है, तब स्थायी लोक अदालत को कोई आदेश या अधिनिर्णय पारित करने का अधिकार नहीं है।यह भी तर्क दिया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं याचिकाकर्ता के मध्य कोई अनुबंधात्मक संबंध नहीं है, अतः उत्तरवादी क्रमांक 1, 1987 के अधिनियम की धारा 22-**A** का लाभ नहीं ले सकता। उत्तरवादी क्रमांक 1 बीमा अनुबंध का तृतीय पक्ष है, जो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी क्रमांक 3 के मध्य संपादित हुआ है। अतः 1987 के अधिनियम की धारा 22 के प्रावधान लागू नहीं होते।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस. के. तिवारी ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया।

7. निर्णय हेतु विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-ख के अंतर्गत गठित स्थायी लोक अदालत को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा को ग्रहण करने एवं उसका निर्णय करने का अधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय-**VI** के अंतर्गत लोक अदालतों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे ऐसे किसी भी विषय का निराकरण कर सकती हैं, जो पहले से न्यायालय में लंबित हो या जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता हो, सिवाय उन मामलों के जो किसी ऐसे अपराध से संबंधित हों जो किसी भी विधि के अंतर्गत समझौता योग्य न हो, और जिनका निराकरण मैत्रीपूर्ण समझौते द्वारा किया जाना हो।

9. अधिनियम के अध्याय-**VI-A** को वर्ष 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। धारा 22-क में **"**स्थायी लोक अदालत**"** को धारा 22-ख की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित लोक अदालत के रूप में परिभाषित किया गया है।

धारा 22-कख में **"**लोक उपयोगिता सेवाएँ**"** को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है—

**(i)** यात्रियों या माल के परिवहन हेतु वायु, सड़क या जल द्वारा परिवहन सेवा; या **(ii)**डाक, तार या दूरभाष सेवा; या **(iii)** किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल की आपूर्ति; या **(iv)** सार्वजनिक स्वच्छता या साफ-सफाई की व्यवस्था; या **(v)** अस्पताल या औषधालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ; या **(vi)** बीमा सेवा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.धारा 22-**B** स्थायी लोक अदालत की स्थापना का प्रावधान करती है। धारा 22-**B**(1) इस प्रकार है—

**"**22-ख(1)— धारा 19 में निहित किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय प्राधिकरण या, जैसा कि मामला हो, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानों पर तथा एक या अधिक लोक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में एवं ऐसे क्षेत्रों के लिए, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, स्थायी लोक अदालतों की स्थापना करेगा।**"**

11.धारा 22-ग स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों के संज्ञान का प्रावधान करती है। धारा 22-ग के अनुसार, स्थायी लोक अदालत को पक्षकारों के बीच विवाद के बिंदुओं का स्थायी रूप से निपटारा करना होता है तथा उनके मध्य सुलह कराने का प्रयास करना होता है। किन्तु स्थायी लोक अदालत की शक्तियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भिन्नता धारा 22-ग(8) से उत्पन्न होती है, जो इस प्रकार है—

"22-ग(8)— यदि उपधारा (7) के अंतर्गत पक्षकार किसी समझौते पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो स्थायी लोक अदालत, यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है, तो उस विवाद का निर्णय करेगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय **XI** के अंतर्गत धारा 146 यह अनिवार्य करती है कि कोई भी व्यक्ति, यात्री के रूप में छोड़कर, किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर यान का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा उपयोग करने की अनुमति देगा, जब तक कि उस यान के उपयोग के संबंध में इस अध्याय की आवश्यकताओं के अनुरूप बीमा पॉलिसी प्रभावशील न हो। मोटर यान अधिनियम की धारा 147 बीमा पॉलिसियों की आवश्यकताओं तथा दायित्व की सीमाओं से संबंधित है। धारा 149 यह स्पष्ट करती है कि बीमाकर्ता को उपधारा (2) में उल्लिखित आधारों पर कार्यवाही का प्रतिवाद करने का अधिकार प्राप्त है। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165, जो कि अध्याय

**XII** में निहित है, दावा अधिकरण के गठन का प्रावधान करती है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का गठन कर सकती है, जिनका उद्देश्य मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटनाओं में मृत्यु या शारीरिक चोट अथवा तृतीय पक्ष की संपत्ति को हुई क्षति के संबंध में क्षतिपूर्ति दावों का निर्णय करना है। धारा 166 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 167 मोटर यान अधिनियम में कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति दावों के संबंध में विकल्प प्रदान करती है। इसके अनुसार, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे शारीरिक चोट होने के कारण इस अधिनियम तथा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 — दोनों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा उत्पन्न होता है, तो क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी व्यक्ति, अध्याय **X** के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उन दोनों अधिनियमों में से किसी एक के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, किंतु दोनों के अंतर्गत नहीं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा धारा 168 के अंतर्गत अधिनिर्णय पारित किया जा सकता है। धारा 168 के अंतर्गत किसी भी जांच को संपन्न करने की प्रक्रिया धारा 169 में प्रदान की गई है, जिसके अनुसार दावा याचिका निर्धारित नियमों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी तथा अधिकरण अपने विवेक से संक्षिप्त कार्यवाही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपनाएगा। धारा 170 के अंतर्गत बीमाकर्ता को कार्यवाही में पक्षकार बनाया जा सकता है। धारा 173 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित निर्णयों एवं पुरस्कारों के विरुद्ध अपील के प्रावधान से संबंधित है। धारा 175 मोटर यान दुर्घटना से संबंधित क्षतिपूर्ति दावों के विषय में सिविल न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र पर रोक लगाती है। इसके अनुसार, जिस क्षेत्र के लिए दावा अधिकरण का गठन किया गया है, उस क्षेत्र में कोई भी सिविल न्यायालय ऐसे किसी प्रश्न पर विचार नहीं करेगा, जिसका निर्णय दावा अधिकरण द्वारा किया जा सकता है, तथा न ही ऐसे दावे के संबंध में कोई स्थगन आदेश पारित करेगा। धारा 176 राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह धारा 165 से धारा 175 तक के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु नियम बना सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम निकोलेटा रोहतगी,* **(2002) 7 SCC 456**, में प्रकाशित प्रकरण में मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों तथा विधायिका के उद्देश्य — विशेष रूप से तृतीय पक्ष के अधिकारों की सुरक्षा, न कि बीमाकर्ता के अधिकारों की व्याख्या करते हुए, निर्णय की कंडिका 13 में निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्त किया है—

**"**1939 के अधिनियम की धारा 96(2), जो कि 1988 के अधिनियम की धारा 149(2) के समतुल्य है, के अंतर्गत बीमा कंपनी को घायल व्यक्ति या मृतक के

आश्रितों द्वारा बीमित व्यक्ति के विरुद्ध दायर वाद में पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि, उक्त प्रावधान बीमाकर्ता को पक्षकार बनाए जाने तथा उसका प्रतिवाद करने का अधिकार प्रदान करता है। अतः यह स्पष्ट है कि यह अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त है तथा इसकी सीमा अधिनियम के प्रावधानों पर निर्भर करती है। जब बीमाकर्ता को किसी मामले या दावे में पक्षकार बनाया जाता है और उसे नोटिस दिया जाता है, तब प्रश्न यह उठता है कि विधि के अंतर्गत उसे कौन-कौन से प्रतिरक्षा के आधार उपलब्ध हैं। धारा 149 की उपधारा (2) की भाषा स्पष्ट एवं निर्विवाद है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया जाता है और उसे मामले की सूचना दी जाती है, तब वह केवल उन्हीं आधारों पर प्रतिवाद कर सकता है, जो 1988 के अधिनियम की धारा 149(2) में विशेष रूप से उल्लिखित हैं, और किसी अन्य आधार पर नहीं। बीमाकर्ता को घायल व्यक्ति या मृतक के उत्तराधिकारियों के दावे का प्रतिवाद उन आधारों पर करने की अनुमति नहीं है, जो बीमित व्यक्ति को उपलब्ध हो सकते हैं, अथवा बीमा पॉलिसी की अन्य शर्तों के उल्लंघन के आधार पर, जो धारा 149(2) में सम्मिलित नहीं हैं। यदि बीमाकर्ता को अन्य आधारों पर दावे का प्रतिवाद करने की अनुमति दी जाती है, तो इसका अर्थ यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

होगा कि बीमाकर्ता को उन आधारों से अधिक अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं, जो विधायिका ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किए हैं।"

14.बीमा कंपनी की तृतीय पक्ष के प्रति वैधानिक देयता, अर्थात ऐसे पक्ष के प्रति जो बीमा अनुबंध का पक्षकार नहीं है, मोटर यान अधिनियम की धारा 149 में निहित है। उक्त धारा बीमाकर्ता पर यह दायित्व आरोपित करती है कि वह बीमित व्यक्ति के विरुद्ध पारित निर्णय एवं अधिनिर्णय का संतोषजनक निर्वहन करे। उक्त धारा का शीर्षक स्वयं महत्वपूर्ण है। इसमें "निर्णय एवं अधिनिर्णय का संतोषजनक निर्वहन" की बात कही गई है, न कि तृतीय पक्ष के दावे की। यदि तृतीय पक्ष के दावे का निर्णय हो जाता है और निर्णय एवं अधिनिर्णय पारित किया जाता है, तब बीमाकर्ता उस व्यक्ति को, जो डिक्री का लाभ पाने का अधिकारी है, वह राशि अदा करेगा, जो बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि से अधिक नहीं होगी, मानो वह स्वयं निर्णय-देनदार हो। इस देयता में दायित्व की राशि के साथ-साथ वाद व्यय तथा किसी भी विधिक प्रावधान के अंतर्गत देय ब्याज की राशि भी सम्मिलित होगी। अतः बीमाकर्ता पर दायित्व तभी आता है जब निर्णय अथवा अधिनिर्णय पारित हो जाए। उस समय तक बीमाकर्ता पर कोई भुगतान दायित्व आरोपित नहीं होता। धारा 149 की उपधारा (2) यह प्रावधान करती है कि चूँकि बीमाकर्ता को निर्णय अथवा अधिनिर्णय की राशि का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भुगतान करना होता है, इसलिए उसे कार्यवाही के प्रारंभ से पूर्व ही पक्षकार बनाया जाएगा। एक बार बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति के विरुद्ध दायर दावे में पक्षकार बना दिए जाने के पश्चात्, उसे केवल उन्हीं आधारों पर प्रतिवाद करने का अधिकार होगा, जो बीमा पॉलिसी की निर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन से संबंधित हों, जैसा कि उक्त प्रावधानों में उल्लेखित है। ये प्रतिरक्षा-आधार बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, न कि दावेदार के विरुद्ध। तथापि, धारा 170 यह स्पष्ट करती है कि यदि दावे की जांच के दौरान यह पाया जाता है कि दावेदार एवं बीमित व्यक्ति के मध्य सांठगांठ है, अथवा वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध दावा किया गया है, दावे का प्रतिवाद करने में असफल रहता है, तो बीमाकर्ता को भी दावे का प्रतिवाद करने का अधिकार प्राप्त होगा, और वह उन सभी आधारों पर प्रतिवाद कर सकेगा, जो बीमित व्यक्ति को उपलब्ध हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रेमलता शुक्ला,* **(2007) 13 SCC 476**, में प्रकाशित प्रकरण में, अपने निर्णय की कंडिका 9 एवं 10 में निम्नलिखित प्रतिपादित किया है—

> **"9.** जब किसी यान के चालक द्वारा लापरवाही एवं उतावले यान-चालन के कारण दुर्घटना घटित होती है, जिससे किसी तृतीय पक्ष को चोट या मृत्यु होती है, तो ऐसे में चालक क्षतिपूर्ति अदा करने हेतु उत्तरदायी होता है। मोटर

यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत यान का स्वामी भी उत्तरदायी होता है। यदि यान बीमित है — जो कि तृतीय पक्ष के मामलों में धारा 147 की उपधारा (1) के अनुसार अनिवार्य है — तो बीमा कंपनी पर वैधानिक रूप से यान स्वामी को प्रतिपूर्ति करने का दायित्व होता है।

**10.** तथापि, बीमाकर्ता केवल उतनी ही सीमा तक बीमित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा, जितनी सीमा तक अधिनियम अथवा बीमा अनुबंध में निर्धारित की गई है। चालक की ओर से उतावलेपन एवं लापरवाही का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना धारा 166 के अंतर्गत आवेदन बनाए रखने के लिए अनिवार्य शर्त है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अतः मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, क्षतिपूर्ति का दावा बीमित व्यक्ति एवं यान चालक के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है और धारा 149(2) के प्रावधानों के कारण बीमा कंपनी को भी पक्षकार के रूप में जोड़ा जाता है। यान स्वामी अथवा चालक को पक्षकार बनाए बिना केवल बीमा कंपनी के विरुद्ध कोई दावा पोषणीय नहीं है। जबकि यान स्वामी एवं चालक के विरुद्ध, बीमा कंपनी को पक्षकार बनाए बिना भी क्षतिपूर्ति का दावा विधिसम्मत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत गठित दावा अधिकरण को ऐसे दावों को ग्रहण करने एवं उनका निर्णय करने का

अधिकार प्राप्त है। किन्तु, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित स्थायी लोक अदालत को केवल लोक उपयोगिता सेवा के विरुद्ध दावे को ग्रहण करने, सुलह कराने तथा सुलह विफल होने की स्थिति में उसका निर्णय करने का अधिकार है। स्थायी लोक अदालत किसी निजी व्यक्ति, जैसे कि यान स्वामी अथवा चालक, के विरुद्ध किसी भी प्रकार के दावे को ग्रहण एवं निर्णीत नहीं कर सकती। अतः विवाद लोक उपयोगिता सेवा एवं किसी अन्य पक्ष के मध्य होना आवश्यक है। बीमा सेवा के संदर्भ में इसका तात्पर्य यह है कि दावा बीमा कंपनी के विरुद्ध होना चाहिए। सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा उसे लगी चोट के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किसी भी प्रकार से क्षुद्र दावा नहीं कहा जा सकता। यह एक गंभीर एवं महत्वपूर्ण दावा है। संसद ने ऐसे दावों के निर्णय हेतु विशेष रूप से मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत दावा अधिकरण का गठन किया है तथा सिविल न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र को स्पष्ट रूप से अपवर्जित किया है। साथ ही, ऐसे निर्णयों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वैधानिक अपील का प्रावधान किया गया है। सामान्यतः ऐसे दावों का निर्णय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। स्थायी लोक अदालत का उद्देश्य मुख्यतः क्षुद्र मामलों का निपटारा करना है। यद्यपि सुलह विफल होने की स्थिति में स्थायी लोक अदालत को मामले का गुण-दोष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के आधार पर निर्णय करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तथापि ऐसे निर्णय के विरुद्ध कोई अपील का प्रावधान नहीं है और स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित अधिनिर्णय को अंतिम घोषित किया गया है। इसी पृष्ठभूमि में, जैसा कि उपर्युक्त विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है, मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के दावे मूलतः लोक उपयोगिता सेवाओं के विरुद्ध नहीं होते, बल्कि यान के बीमित स्वामी तथा यान चालक के विरुद्ध होते हैं। केवल उस स्थिति में, जब सक्षम अधिकरण द्वारा निर्णय अथवा अधिनिर्णय अथवा डिक्री पारित की जाती है, बीमा कंपनी पर उक्त राशि का भुगतान करने का दायित्व आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपर्युक्त कारणों के मद्देनज़र, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-ख के अंतर्गत गठित स्थायी लोक अदालत को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावों को ग्रहण करने एवं उनका निर्णय करने का कोई अधिकार-क्षेत्र प्राप्त नहीं है।

18. उपरोक्त कारणों से ये रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। आक्षेपित आदेशों को रद्द(अभिखंडित) किया जाता है।

19. दावेदारों द्वारा प्रस्तुत सभी दावे अस्वीकृत किए जाते हैं, तथापि उन्हें यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165 के अंतर्गत गठित सक्षम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष विधि के अनुसार दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

20. पक्षकार अपने-अपने वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

21. उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति राज्य की समस्त स्थायी लोक अदालतों को उनके मार्गदर्शन हेतु प्रेषित करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**स**

**ही/-**

**एन.के.अग्रवाल**

**न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा।समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप

ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Translated By Aman Ansari, Advocate.**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur